राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

मुकदमा नं. 01/2017 दायर दिनांकः— 06.04.2017

अनवान

हीरालाल, मदनलाल पिता उदा, मु0 सरजू बेवा उदा रेगर निवासी बिजौलियां खुर्द

प्रार्थी.....

बनाम

सत्यनारायण पिता कालू सैन निवासी बिजौलियां खुर्द

अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183(बी)आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय दिनांकः 18-10-2017

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के समक्ष जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द में आराजी नं0 3/4 रकबा 5.10 बीघा, आराजी नं0 48/1 रकबा 1.00 बीघा, आराजी नं0 83 रकबा 1.06 बीघा एवं आराजी नं0 84 रकबा 1.14 बीघा कुल किता 4 हम प्रार्थीगण के नाम खातेदार दर्ज रेकार्ड है। हम प्रार्थीगण रेगर जाति से होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है। हमारे खातेदारी भूमि में से आराजी नं0 48/1 रकबा 1.00 बीघा पर सत्यनारायण पिता कालू सैन निवासी बिजौलिया खुर्द द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। हमारे खातेदारी भूमि मे से अवैध कब्जा को हटावाया जाकर बेदखल करवाया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी की उसमें प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य होने एवं खातेदार होने के कारण प्रकरण सख्यां 183 "बी" रा0टि0एक्ट 1955 के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । नोटिस बाद तामील प्राप्ती पर प्रार्थीगण की ओर से श्री दिनेश कुमार तम्बोली एवं अप्रार्थीगण की ओर से श्री घनश्याम धाकड व सुनिल जोशी द्वारा अधिकार पत्र पेश किये जो शा.फा. किये गये।

प्रकरण में मौके की वस्तुस्थिति की पटवारी हल्का से जांच करवाई गयी। जांच में अंकित आराजी नं0 48/1 का नक्शे में तरमीम नही किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया जो शा0फा0 किया गया । प्रार्थीगण स्वयं एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुऐं नही कोई ठोस साक्ष्य पेश की गयी । पटवारी हल्का द्वारा विवादित स्थल की जांच रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 810 आराजी नं0 3/4 रकबा 5.10 बीघा, आराजी नं0 48/1 रकबा 1.00 बीघा, आराजी न0 83 रकबा 1.06 बीघा एवं आराजी नं0 84 रकबा 1.14 बीघा रकबा 9.10 बीघा दर्ज रेकार्ड है। जिस में से आराजी नं0 83 व 84 की तरमीम होकर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। आराजी नं0 48/1 व आराजी नं0 3/4 की राजस्व रेकार्ड में तरमीम नही है। मौका व रेकार्ड अनुसार आराजी नं0

तहसीलदार बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

48/2 रकबा 5.00 बीघा भूमि की तरमीम है जो सत्यनारायण पिता कालू सैन निवासी बिजौलियां खुर्द के नाम खातेदारी दर्ज है। खातेदारी दर्ज पर काबिज है। अप्रार्थी सत्यनारायण सैन लगभग 10–12 वर्षो से भूमि पर ही काबिज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आराजी नं0 48/1 व आराजी 3/4 की राजस्व रेकार्ड में तरमीम में नही होने से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर तरमीम की कार्यावाही करवाने हेतु पूर्व में जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को हिदायत दी गई है ।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर ग्रहण योग्य नही होने से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हुऐं फिर भी प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज नही कर मेरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित हैं । प्रार्थीगण का आराजी नं0 48/1 व आराजी 3/4 की राजस्व रेकार्ड में तरमीम नही होने से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर तरमीम की कार्यावाही करवाने हेतु स्वतंत्र है।

प्रकरण में अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रेकार्ड का अध्योपरान्त अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्याहीन होने से खारीज किया जाता है। तदनुसार पालना हो । पत्रावली बा0दा0 रजिस्टर के नम्बर कम होकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)